(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017 R 830-II/17

1. विजय स्वरुप आनन्द,
2. शान्त स्वरुप आनन्द, दोनो पुत्रगण स्व. श्री आनन्द स्वरुप, निवासीगण- अशोकनगर तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)

--आवेदकगण

श्री विनोद भार्गव, एडवो. द्वारा आज दि. 6-3-17 को प्रस्तुत
ह. 6-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. उपयंत्री जलसंसाधन विभाग अशोकनगर (म.प्र.)
2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर अशोकनगर (म.प्र.)

--अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, अशोनकगर, द्वारा प्रकरण क्रमांक 1783/बी121/2015-16 में की जा रही कार्यवाही एवं आदेश पारित दिनांक 01/08/2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
06-03-2017

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, आवेदक क्र. 1 ने ग्राम अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्र. 624 में से रकबा 2.865 हे. में से रकबा 0.148 हे. एवं सर्वे क्र. 626 रकबा 3.166 हे. में से रकबा 1.494 हे. कुल किता 2 कुल रकबा 1.642 हे. अलाद्दीन एवं राजेन्द्र कुमार शर्मा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। इसी प्रकार आवेदक क्र. 2 ने अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्र. 626 रकबा 3.1566 हे. में से रकबा 1.672 हे. भूमि अलाद्दीन एवं राजेन्द्र कुमार शर्मा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तदानुसार उनका राजस्व अभिलेख में नामांतरण हो गया था।

2. यहकि, आवेदक क्र. 1 द्वारा क्रय की गयी भूमि के बटांकन हेतु आवेदन किया गया था जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 123अ-3/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 05/04/2015

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 830–दो/2017 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.1.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 1783/बी/121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 01.8.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/02/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/2/19 कलेक्टर जिला अशोकनगर	